"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 525 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 नवम्बर 2017— अग्रहायण 9, शक 1939

### राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2017

### अधिसूचना

क्रमांक रा. स./पीएसजी/2017/282. — न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग में मानव अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 22 की उपधारा (1) के अंतर्गत अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था, का सेवाकाल दिनांक 19-11-2017 को पूर्ण हो गया है;

अत: मैं बलरामजी दास टंडन, राज्यपाल, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा मानव अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 (1994 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 25 की उपधारा (1) में निहित शक्ति के आधार पर श्री महेन्द्र पाल सिंघल, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग को छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के नये अध्यक्ष की नियुक्ति तक कार्य करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

No. F42/PSG/2017/283.— Whereas Justice Shri Rajeev Gupta who was appointed as the Chairperson of the Chhattisgarh State Human Rights Commission, under sub section (1) of Section 22 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (No. 10 of 1994) has completed his tenure on 19th November, 2017;

Therefore, by virtue of the power vested in me by sub section (1) of Section 25 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (No. 10 of 1994), I, Balramji Dass Tandon, Governor of Chhattisgarh , hereby authorise Shri Mahendra Pal Singhal, Member, Chhattisgarh State Human Rights Commission, to act as the Chairperson until the appointment of a new Chairperson.

हस्ता./-
**(बलरामजी दास टंडन)**
राज्यपाल.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.